उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
आयोग भवन, हरिद्वार

संख्याः 393/60/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा–1/2016–17 दिनांक : 01 दिसम्बर, 2022

चयन परिणाम निरस्त संबंधी विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग, समूह 'ग') सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा–2018 के अंतर्गत प्रवक्ता अर्थशास्त्र (सामान्य शाखा) में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या : 1360/2019(एस/एस), नीरज चन्द्र तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.07.2022 के क्रम में दिनांक 25 अगस्त, 2022 को चयनित अभ्यर्थी बबीता (अनुक्रमांक– 904498) के प्रार्थनापत्र दिनांक 12.11.2022 पर विचार किया गया।

रिट याचिका संख्या : 1360/2019 (एस/एस) में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय दिनांक 14.07.2022 के अनुपालन में पूर्व में आस्थगित रखे गये प्रवक्ता अर्थशास्त्र (सामान्य शाखा) के 01 पद के सापेक्ष उक्त पद के साक्षात्कार प्राप्तांक सूची में प्रवीणता/योग्यता क्रम में अंकित अभ्यर्थिनी बबीता (अनुक्रमांक– 904498) को उक्त पद पर चयन प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या 320 दिनांक 30 अगस्त, 2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–353/60/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा–1/2016–17, दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 के अनुक्रम में उनके द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रवक्ता अर्थशास्त्र (सामान्य शाखा) के पद पर उनके चयन/नियुक्ति को निरस्त किये जाने विषयक प्रार्थनापत्र दिनांक 12.11.2022 के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त मा0 आयोग द्वारा उक्त पद पर उनका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग, समूह 'ग') सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा–2018 के अंतर्गत प्रवक्ता अर्थशास्त्र (सामान्य शाखा) के संबंध में योजित रिट याचिक संख्या 1865 (एस/एस) ऑफ 2022, रवि बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 23.09.2022 को पारित अन्तरिम आदेश के अनुपालन में उक्त सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के 01 पद को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत किये जाने वाले अंतिम निर्णय तक आस्थगित रखा गया है।

Sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।